न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 162/2019 दिनांक–12.09.2019

यशपाल सिंह उर्फ सम्पत सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. हेमन्त सिंह पुत्र गजेन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. नरपत सिंह पुत्र स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. करणी सिंह पुत्र स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. दुर्गा कंवर पत्नी स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. भवानी सिंह पुत्र स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. मदन कंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. शंकर सिंह पुत्र स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. सज्जन सिह पुत्र स्व० जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. राजस्थान–सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
10. शाखा प्रबन्धक बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अमसिंह शेखावत
वकील प्रति. :– श्री दयानन्द सैनी 1 लगा. 8
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार प्रति. 9

<u>दावा : बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 19.11.2019

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खिरोड मे खाता संख्या 770 की भूमि ख.न. 1169/0.086, 1192/0.015, 1242/3.73, 1244/1.79, 1245/0.01, 1246/2.53 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.17 हैक्टर एवं खाता संख्या 771 की भूमि खसरा नम्बर 1268/0.04, 1141/0.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

08,, कुल किता 2 कुल रकबा 0.012 हैक्टर अवस्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण शामलाती खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है वादी का 1/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/21, प्रतिवादी संख्या 2 1/7 प्रबतिवादी संख्या 3 का 1/7 प्रबतिवादी संख 4 का 1/7 प्रतवादी संख्या 5 का 1/7 प्रतिवादी संख्या 6 का 1/21 प्रतिवादी संख्या 7 का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 8 का 1/7 दर हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज व काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य खातेदारी को संबंध में कोई विवाद नही है।

वादी का बोलचाल व लाड़ प्यार से परिजन सम्पत के नाम से पुकारते थे जबकि शिक्षा आदि में वादी का नाम यशपाल सिंह रिकार्ड में दर्ज है। पिता के देहान्त के बाद नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादी का बोलचाल व लाड़ प्यार का नाम नामान्तकरण में दर्ज करवा दिया जबकि वादी सम्पूर्ण कार्य व्यवहार यशपाल सिंह के नाम सक करता आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान प्रमाण पत्र अंकतालिका परीक्षा 2000 में वादी का नाम यशपाल सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह अंकित है जो प्रथम कक्षा से दसवीं तक इसी नाम से अध्ययन किया है, आधार कार्ड आदि में भी वादी का नाम यशपाल सिंह ही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सम्पत सिंह गलत दर्ज होने के कारण से व अन्य दस्तावेज में यशपाल सिंह होने के कारण से सरकारी कृषि भूमि के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है जिससे वादी को शक्त हकतलफी पैदा होती है साथ ही कार्य–व्यवहार में भी असुविधा होती है। हालांकि गलत नाम के दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है परन्तु कालान्तर में चलकर गलत नाम रहने से लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पडेगा इसलिए वादी अपने गलत नाम सम्पत सिंह के स्थान पर यशपाल सिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए वाद घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती अमल दरामद करवाने का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी की किसाान सम्मान निधि में पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दिनांक 25.08.2019 को ई–मित्र खिरोड़ में गया तब राजस्व रिकार्ड में गलत नाम होन व शिक्षा, आधार कार्ड में नाम अलग होने के कारण से किसान सम्मान योजना से वादी वंचित हो गया तब राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर वाद घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक करना आवश्यक हुआ। वाद कारण राजस्व रिकार्ड में गलत नाम आने व दिनांक 25.08.2019 को ई–मित्र पर किसान सम्मान योजना का लाभ लेने से वंचित होने के रोज अदालत हाजा क्षैत्र में पैदा हुआ। फरीकेन अदालत हाजा क्षैत्र के स्थायी निवासी है व वादग्रस्त भूमि भी अदालत हाजा क्षैत्र में अवस्थित होने के कारण से सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त व इन्द्राज करने तथा प्रतिवादी संख्या 10 को भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है ताकि आवश्यक पक्षकार का दोष नही रह जावे। राजस्व रिकार्ड में मात्र नाम परिवर्तन करवाना चाहा है। वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती के लिए तृतीय अनुसूची राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार ऐसे वाद के लिए कोई मियाद तय नही है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम खिरोड खाता संख्या 770 की भूमि ख.न. 1169/0.086, 1192/0.015, 1242/3.73, 1244/1.79, 1245/0.01, 1246/2.53 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.17 हैक्टर एवं खाता संख्या 771 की भूमि खसरा नम्बर 1268/0.04, 1141/0.08,, कुल किता 2 कुल रकबा 0.012 हैक्टर अविस्थत है में वादी का नाम सम्पत सिंह गलत अंकित के स्थान पर यशपाल सिंह दर्ज करने की घोषणा फरमायी जावे। हिस्सा काश्त जैसा राजसव रिकार्ड में दर्ज है, उसको यथावत रखा जावें। अन्य सिद्धी चाही जाने से रह गयी है, वादी के हक में पड़ती हो वो अलग से दिलवायी जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण दस्तावेजात अधार कार्ड, दसवी कक्षा की अंकतालिका आदि सभी में वादी के पिता का नाम यशपाल सिंह दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार वादी का वाद न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खिरोड खाता संख्या 770 की भूमि ख.न. 1169/0.086, 1192/0.015, 1242/3.73, 1244/1.79, 1245/0.01, 1246/2.53 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.17 हैक्टर एवं खाता संख्या 771 की भूमि खसरा नम्बर 1268/0.04, 1141/0.08,, कुल किता 2 कुल रकबा 0.012 हैक्टर में वादी का नाम सम्पत सिंह के स्थान पर यशपाल सिंह घोषित/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-11-19

उपखण्ड अधिकारी

(मुरारीलाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 162/2019 (यशपाल सिंह उर्फ सम्पत सिंह बनाम हेमन्त सिंह वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **19.11.2019** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड खाता संख्या 770 की भूमि ख.न. 1169/0.086, 1192/0.015, 1242/3.73, 1244/1.79, 1245/0.01, 1246/2.53 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 9.17 हैक्टर एवं खाता संख्या 771 की भूमि खसरा नम्बर 1268/0.04, 1141/0.08,, कुल किता 2 कुल रकबा 0.012 हैक्टर में वादी का नाम सम्पत सिंह के स्थान पर यशपाल सिंह घोषित/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **19** माह **11** सन **2019** को जारी की गई।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	04.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.29 17:38:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: